पुष्कर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

179/2020/225 उगमा बनाम रामदेव वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020/100179 श्री सुण्डाराम जाट श्री	
24.12.21	उगमा बनाम रामदेव वगैरह यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री सुण्डाराम जाट के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11.01.2022 से आज ही तलब कर प्रकरण सारहीन होने खारिज करने बाबत् पेश किये जाने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष मूल राजस्व नोट प्रेस किये जाने से खारिज हो चुका है इसलिए उक्त अपील जो कि धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई है जो सारहीन हो जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।. अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष मूल राजस्व वाद नोट प्रेस किये जाने से खारिज हो चुका है चूँकि यह अपील धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है इसलिए अपील को सारहीन होने से खारिज करना उचित प्रतीत होता है। **अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	